

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100533

दिनांक: 27/02/2026

**लोक सूचना**

श्रीमति SHIVANGI MEENA श्री BRIJRAJ जाति MEENA निवासी 114, GURU JAMBESHWAR NAGAR LANE 3, GANDHI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR

श्री BRIJ RAJ पुत्र श्री MATA DEEN VERMA जाति MEENA निवासी 114, GURU JAMBESHWAR NAGAR LANE 3, GANDHI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR

श्रीमति SUDESH MEENA श्री GHANSHYAM MEENA जाति MEENA निवासी 113-114, GURU JAMBESHWAR NAGAR LANE 3, GANDHI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इंप्रॉस्ट्रक्चर एंव वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सांझरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) सुदेश पत्नि घनश्याममीना हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. ग्राम.चींचरोली.तह. खेतडी खातेदार	1007	1.08	0.16
2.	सांझरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शिवांगी मीना पत्नि ब्रिजराज मीना हिस्सा पूर्ण जाति मीना नि 114 गुरु जम्बेश्वर नगर लेन 3 गांधी पथ वैशाली नगर.जयपुर खातेदार	1011	0.13	0.11
3.	सांझरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शिवांगी पुत्री प्रहलादराय हिस्सा पूर्ण जाति मीना सी 112 / 5 राजापार्क जयपुर खातेदार	1012	0.37	0.22
4.	सांझरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) ब्रजराज पुत्र मातादीन वर्मा हिस्सा पूर्ण जाति मीना निवासी 114 लेन 3 गाँधी पथ गुरु जम्बेश्वर नगर वैशाली नगर जयपुर	1018	0.31	0.0239

		खातेदार			
5.	सांझरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शिवांगी पत्नि बृजराज हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. ग्राम हमीरपुर (अलवर) खातेदार	1019	1.29	0.5515
6.	सांझरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शिवांगी मीना पत्नि ब्रिजराज मीना हिस्सा पूर्ण जाति मीना नि 114 गुरु जम्बेश्वर नगर लेन 3 गांधी पथ वैशाली नगर.जयपुर खातेदार	1020	0.25	0.25
<b>कुल</b>					<b>1.3154</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **27-02-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)  
RAJASTHAN PATRIKA & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

